



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269445
CG-DL-E-20012026-269445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947

No. 226]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

का.आ. 254(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क विंग) का.आ 78 (अ) दिनांक 4 फरवरी, 1999 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा राज्य में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (नया एनएच-44) के किमी 0.000 से किमी 18.800 (दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा सीमा खंड तक) तक और किमी 18.800 से किमी 93.000 (दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा खंड) तक के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती प्रकाशित अधिसूचना का.आ.2331 (अ) दिनांक 22.09.2010 को अधिक्रमित करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (नया एनएच-44) के दिल्ली-आगरा खंड (बदरपुर एलिवेटेड राजमार्ग खंड) पर डिजाइन किलोमीटर 16.100 से किलोमीटर 20.500 तक के चार या अधिक लेन के 22.00 किलोमीटर (सारणी-2) (नियम 4 के उप-नियम 10 के अनुसार न्यूनतम लंबाई) की लंबाई के उपयोग के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः-

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समतुल्य सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात् :-

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	जिस दर पर शुल्क देय है
दिल्ली और हरियाणा राज्य के बदरपुर और सराय जिले में क्रमशः एनएच- 2 (नया एनएच-44) के किमी/चेनेज 18.700 और 20.200 पर।	22.00 [^] [संरचनाओं की लंबाई सहित (>60 मीटर)]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम 10 के अनुसार लंबाई :-

गणना विधि	मान (किलोमीटर में)
10 x 3.391 (अर्थात्, संरचना की लंबाई का दस गुणा*) + 1.009 (अर्थात्, संरचना की लंबाई 3.391 को छोड़कर निवल सड़क की लंबाई)	34.919
राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुणा (अर्थात्, 5 x 4.400)	22,000

इन दोनों मानों में से कम मान अर्थात् **22 किमी** वह लंबाई है जिसके लिए शुल्क देय है।

*संरचनाओं का विवरण निम्नवत हैं :-

क्र. सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी. से	किमी. तक		
1.	16.300	19.980	फ्लाईओवर	3.391 किमी
		कुल		3.391 किमी

2. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00/-रुपए (तीन सौ चालीस रुपएमात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात: -

सारणी - 3		
देय राशि	अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. उपर्युक्त सारणी- 1 यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से वसूल किये जाने वाला वास्तविक शुल्क तथा छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 340.00 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. डीएलडीआईवी-20017/39/2025- पीआईयू मथुरा/ई-259251]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

S.O. 254(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches of National Highway No. 2 (New NH-44) from km 0.000 to km 18.800 (Delhi to Delhi/Haryana border section) and km 18.800 to 93.000 (Delhi/Haryana border to Haryana/Uttar Pradesh border section) in the National capital territory of Delhi and the State of haryana respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of the earlier notification published vide S.O. 2331 (E)

dt. 22.09.2010, the Central Government, hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for the length of 22.00 Km (Table-2) (minimum length as per Sub-rule 10 of Rule 4) on the type of vehicle specified in column (1) of Table-1 below for use of four or more lane from design kilometer 16.100 to kilometer 20.500 on Delhi- Agra section (Badarpur elevated highway section) of National Highway number 2 (New NH-44) in the National Capital Territory of Delhi & the state of Haryana and authorises the authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for equivalent road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 18.700 and 20.200 of NH-2 (New NH-44), in Badarpur and Sarai district of Delhi & Haryana State respectively.	22.00 [^] [including length of structures (> 60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above.

[^]Length as per Sub-rule 10 of Rule 4 of the said rules:-

Calculation Method	Value (in kilometers)
10 x 3.391 (i.e., ten times length of structures*) + 1.009 (i.e., net road length excluding length of structure of 3.391)	34.919
Five times the total length of the section of national highway (i.e., 5 x 4.400)	22.000

The lesser of these two values i.e. **22 km.**, is the length for which the fee is payable.

*The details of structures are as under:-

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km.	To Km.		
1.	16.300	19.980	Flyover	3.391 Km
		Total		3.391 Km

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340 (Rupees three hundred and forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-3		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza fails shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 340.00 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. DLDIV-20017/39/2025-PIU Mathura/E-259251]
CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.